



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062026-273669
CG-DL-E-20062026-273669

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3122]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2026/ज्येष्ठ 29, 1948

No. 3122]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2026/JYAISTHA 29, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2026

का.आ. 3245(अ).—केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबन्धों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिससे उक्त अधिनियम के वे उपबन्ध, जहाँ तक यह कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 24 और उसकी प्रविष्टियों से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 43024/2/2024-एलएआईआर]

डा. गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2026

S.O. 3245(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the date of publication of this notification as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 24 and the entries thereto in the Schedule to the said Act relating to the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, shall come into force.

[F. No. 43024/2/2024-LAIR]

Dr. GOPAL SINGH, Jt. Secy.